

एक राष्ट्र-एक चुनाव का अवलोकन

यह एडिटरियल 23/01/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित [“The idea of one nation, one election is against federalism”](#) लेख पर आधारित है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराने—जैसे 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, से संबद्ध समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

[एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 356, आदर्श आचार संहिता \(MCC\), वधि आयोग, संघवाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन \(EVMs\), मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल \(VVPAT\), जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, दल-बदल वरीधी कानून, अवशिवास प्रस्ताव।](#)

मेन्स के लिये:

एक राष्ट्र एक चुनाव: लाभ, चुनौतियाँ और आगे की राह।

सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व [राष्ट्रपति](#) रामनाथ कोवदि के नेतृत्व में [‘एक राष्ट्र - एक चुनाव’ \(One Nation, One Election- ONOE\)](#) पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायवर्दों के विचार आमंत्रित किये। एक राष्ट्र - एक चुनाव का प्रस्ताव भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे और संघीय ढाँचे पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

‘एक राष्ट्र - एक चुनाव’ के पीछे केंद्रीय विचार क्या है?

परिचय:

- यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव [लोकसभा](#) के आम चुनावों के साथ-साथ संपन्न होंगे।
- विचार यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

पृष्ठभूमि:

- यह विचार वर्ष 1983 से ही अस्तित्व में है, जब [नरिवाचन आयोग](#) ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था।
 - लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी [राज्य विधानसभाओं](#) के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराये गए थे।
 - यह अभ्यास वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम चुनावों में भी जारी रहा।
- लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया।
 - वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा का समय-पूर्व विघटन हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित कराये गए। इस प्रकार, वर्ष 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने पाँच वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया।

वश्व में अन्य जगहों पर एक साथ चुनाव:

- [दक्षिण अफ्रीका](#) में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगरनिकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं।
- [स्वीडन](#) में राष्ट्रीय विधानमंडल (Riksdag), प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल (Landsting) और स्थानीय निकायों/नगरनिकाय सभाओं (Kommunfullmaktige) के चुनाव एक नश्चिति तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं।
- [ब्रिटन](#) में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये नश्चिति अवधि संसद अधिनियम, 2011 (Fixed-term Parliaments Act, 2011) पारित किया गया था।
 - इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) या ONOE के विभिन्न लाभ क्या हैं?

- **शासन विकिरणों को कम करना:**
 - बार-बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है।
 - यह चुनावी व्यस्तता भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करती है।
- **आदर्श आचार संहिता का प्रभाव:**
 - चुनावों के दौरान लागू **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC)** राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर प्रमुख नीतितक नरिणियों में वलिब का कारण बनती है।
 - यहाँ तक कि चल रही परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नयिमति प्रशासन में सुस्ती आ जाती है।
- **राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करना:**
 - बार-बार चुनाव का आयोजन राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिये उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है।
 - एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार-बार धन जुटाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
 - इससे आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार-बार चुनावी चंदा देने का दबाव भी कम हो जाएगा।
- **लागत बचत और चुनावी अवसंरचना:**
 - वर्ष 1951-52 में जब लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए तो इसमें 53 राजनीतिक दलों और लगभग 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया तथा चुनाव का व्यय 11 करोड़ रुपए रहा।
 - वर्ष 2019 के आम चुनाव में 610 राजनीतिक दलों और लगभग 9,000 उम्मीदवारों ने भागीदारी की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रफॉर्मर्स (ADR) के अनुसार लगभग 60,000 करोड़ रुपए के चुनावी खर्च पर राजनीतिक दलों अभी घोषणा किये जाना शेष है।
 - हालाँकि अवसंरचना में आरंभिक नविश की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी चुनावों के लिये समान मतदाता सूची का उपयोग करने से मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और बनाए रखने में लगने वाले व्यापक समय एवं धन की बचत हो सकती है।
- **नागरिकों को सुवधि:**
 - एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब के संबंध में नागरिकों की चिंताएँ कम हो जाएँगी।
 - सभी चुनावों के लिये सुसंगत मतदाता सूची का उपयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे नागरिकों को अधिक प्रत्यक्ष एवं भरोसेमंद मतदान अनुभव प्राप्त होता है।
- **कानून प्रवर्तन संसाधनों का इष्टतम उपयोग:**
 - चुनावों के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर बार-बार तैनाती में उल्लेखनीय लागत आती है तथा प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मियों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यों से वचिलन होता है।
 - एक साथ चुनाव से बार-बार तैनाती की कमी होगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा और कानून प्रवर्तन दक्षता बढ़ेगी।
- **'हॉर्स-ट्रेडिंग' पर अंकुश:**
 - नशिचति अंतराल पर आयोजित चुनावों से नशिवाचति प्रतिनिधियों द्वारा **हॉर्स ट्रेडिंग** या खरीद-फरोख्त को कम किया जा सकता है।
 - नशिचति अवधियों पर चुनाव कराने से प्रतिनिधियों के लिये व्यक्तिगत लाभ के लिये दल बदलना या गठबंधन बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जो मौजूदा **दल-बदल वशिधी कानूनों** को पूरकता प्रदान करेगा।
- **राज्य सरकारों के लिये वतितीय स्थरिता:**
 - बार-बार चुनावों के कारण राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिये मुफ्त सुवधियों या 'फ्रीबीज़' की घोषणा करती हैं, जिससे प्रायः उनके वतित पर दबाव पड़ता है।
 - एक साथ चुनाव का आयोजन इस समस्या को कम कर सकता है, राज्य सरकारों पर वतितीय बोझ घट सकता है और वृहत वतितीय स्थरिता में योगदान प्राप्त हो सकता है।

ONOE से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक चिंताएँ और मध्य-कार्यकाल पतन:**
 - **संवैधानिक अनुच्छेद 83(2) और 172** में क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये पाँच वर्ष का कार्यकाल नरिदषिट किया गया है, यदरि समय-पूरव उनका वधिदन नहीं हो जाए।
 - ONOE की अवधारणा उन परिदृश्यों को प्रश्नगत करती है यदरि केंद्र या राज्य सरकार के कार्यकाल का मध्य में ही पतन हो जाए।
 - उस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में पुनः चुनाव कराने या **राष्ट्रपति शासन** लगाने की दुवधि संवैधानिक ढाँचे को जटलि बनाती है।
- **ONOE को लागू करने में लॉजसिटिक संबंधी चुनौतियाँ:**
 - ONOE के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं सुरक्षा सहति महत्त्वपूर्ण लॉजसिटिक संबंधी चुनौतियाँ शामिल हैं।
 - नशिवाचन आयोग को इतने बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ONOE प्रस्ताव की जटलिता बढ़ जाएगी।
- **संघवाद संबंधी चिंताएँ और वधि आयोग के नशिकर्ष:**
 - ONOE की अवधारणा **संघवाद (federalism)** की अवधारणा से टकराव रखती है; यह संवैधानिक **अनुच्छेद 1** में भारत को 'राज्यों के संघ' (Union of States) के रूप में देखने के वधिार के वपिरित है।
 - एक साथ चुनाव राज्य सरकारों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला है। इससे न केवल संघीय ढाँचा कमज़ोर हो सकता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हतियों का टकराव भी बढ़ सकता है।

- राज्य सरकारों के कार्यकाल अलग-अलग होते हैं और कुछ राज्यों को संवधान के [अनुच्छेद 371](#) के तहत वशिष उपबंध सौंपे जाते हैं।
- न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले [वधिआयोग](#) ने बताया कि मौजूदा संवधानिक ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव संपन्न कराना व्यवहार्य नहीं है।
 - इसके लिये संवधान, [जन प्रतनिधित्व अधिनियम 1951](#) और लोकसभा एवं राज्य वधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- **चुनावों की पुनरावृत्त और लोकतांत्रिक लाभ:**
 - बार-बार आयोजित चुनावों की वर्तमान प्रणाली को लोकतंत्र में लाभप्रद माना जाता है, जिससे मतदाताओं को अपनी आवाज़ अधिक बार व्यक्त करने की अनुमति मिलती है।
 - यह व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के बीच मुद्दों के मशिरण को रोकती है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चिता होती है।
 - वर्तमान ढाँचे के तहत प्रत्येक राज्य की वशिषिट मांगों और आवश्यकताओं को आवाज़ मिलती है।
- **पक्षपातपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना:**
 - [IDFC इंस्टीट्यूट](#) के वर्ष 2015 के एक अध्ययन में उजागर हुआ कि एक साथ चुनाव से इस बात की 77% संभावना बनती है कि विजयी राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा और राज्य वधानसभाओं, दोनों में जीत प्राप्त होगी।
 - हालाँकि, यदि दोनों चुनाव छह माह के अंतराल पर आयोजित हों तो केवल 61% मतदाता ही दोनों चुनावों में एक ही दल को चुनेंगे।
- **लागत नहितार्थ और आर्थिक वचिर:**
 - एक साथ चुनाव की लागत के बारे में नरिवाचन आयोग और [नीतिआयोग](#) के अनुमान परस्पर वरिधी आँकड़े प्रकट करते हैं। हालाँकि दीर्घावधि में सकिरनाइजेशन से प्रतभितदाता लागत में बचत हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन \(EVMs\)](#) और [वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलस \(VVPATs\)](#) की तैनाती के लिये लघु-आवधिक खर्च बढ़ सकता है।
 - आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा कयिा जाने वाला चुनावी व्यय, संभावति लघु-आवधिक लागत में वृद्धि के बावजूद, अंततः अर्थव्यवस्था एवं सरकारी कर राजस्व को लाभ पहुँचाता है।
- **कानूनी चतिाएँ:**
 - एक साझा चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत संवधान का उल्लंघन हो सकती है, जैसा कि [एस.आर. मामले](#) में प्रकट हुआ था जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के स्वतंत्र संवधानिक अस्तित्व पर बल दिया था।
- **परामर्श प्रक्रिया में भाषा पूर्वाग्रह:**
 - उच्चस्तरीय समिति की परामर्श प्रक्रिया (जैसा इसकी वेबसाइट पर प्रकट है) पूर्वाग्रह, अपवर्जन और असमानता के संबंध में चतिाओं को जन्म देती है।
 - सूचना कोष और इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में उपस्थति वेबसाइट केवल अंग्रेजी एवं हदि में उपलब्ध है और भारत की अन्य 22 आधिकारिक भाषाओं की उपेक्षा करती है।
- **नरिवाचन आयोग की स्वतंत्रता:**
 - नरिवाचन आयोग की भूमिका और स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाये गए हैं। इसे 'नोटबंदी' जैसे परदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है जहाँ [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) को सूचति नहीं कयिा गया था।
 - उच्चस्तरीय समिति की प्रक्रिया में नरिवाचन आयोग नषिक्रयि दिखाई देता है, जिससे चुनावों पर स्वतंत्र नरिणय लेने की उसकी स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती है।

आगे की राह:

- **आम सहमतिका नरिमाण करना:**
 - एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता के लिये राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमतिका बनाना महत्त्वपूर्ण है। चतिाओं को दूर करने और समर्थन हासलि करने के लिये वभिन्न हतिधारकों के बीच खुले संवाद, परामर्श और वचिर-वमिर्श की आवश्यकता है।
- **संवधानिक संशोधन:**
 - एक साथ चुनाव कराने के लिये संवधान, जन प्रतनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य वधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन कयिा जाना आवश्यक होगा। इस वधिकि ढाँचे में समकालिक मतदान की वशिषिट आवश्यकताओं को समायोजति कयिा जाना चाहयि।
- **वधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखति करना:**
 - संवधानिक संशोधन में वधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखति करना शामिल हो सकता है। प्रस्ताव के तौर पर, कोई भी वधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से 6 माह पूर्व या पश्चात समाप्त हो रहा हो, चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थति करते हुए अपने चुनावों को लोकसभा चुनावों से संरेखति कर सकती है।
- **अवसंरचना में नविश:**
 - एक साथ चुनावों के सफल कार्यान्वयन के लिये चुनावी अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकि में पर्याप्त नविश की आवश्यकता होगी। इसमें EVMs, VVPAT मशीन, मतदान केंद्र और प्रशक्तिषति सुरक्षा कर्मयिों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चिता करना शामिल है।
- **आकस्मिकताओं के लिये वधिकि ढाँचा:**
 - [अवशिवास प्रस्ताव](#), समय-पूर्व वधानसभा वधिटन या त्रशिकु संसद जैसी आकस्मिकताओं से नपिटने के लिये [वधिकि ढाँचा](#) स्थापति करना आवश्यक है। इस ढाँचे का उद्देश्य एक साथ चुनाव चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशति परस्थितियिों का प्रबंधन करना होगा।
- **जागरूकता और मतदाता शकिषा:**
 - एक साथ चुनाव के लाभ और चुनौतियिों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना महत्त्वपूर्ण है। मतदाता शकिषा कार्यक्रमों को यह सुनिश्चिता करना चाहयि कि नागरिक इस प्रक्रिया को समझें, जिससे वे बिना किसी भ्रम या असुवधि के अपने मताधिकार का प्रयोग कर

